UPVR040914062024

Criminal Misc. Cases/3200/2024

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-04, वाराणसी।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या- 3200/2024

नागेश्वर मिश्र व अन्य **बनाम** राहुल गांधी

थाना- सारनाथ, वाराणसी।

दिनांक:- 28.11.2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर सुना जा चुका है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।

आवेदक का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है तथा कानून व आस्था पर विश्वास रखने के साथ ही साथ भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति है एवं भारत विरोधी क्रिया-कलापों के विरूद्ध सदैव आवाज उठाता रहा है। प्रार्थी व प्रार्थिनी विगत 4-5 दिनों से सभी समाचार चैनलों व समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर पढ़कर बेहद चिंतित हैं जिसमें देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा है कि भारत में सिक्खों के बीच असुरक्षा का माहौल है एक सिक्ख के तौर पर उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं? और क्या वह गुरूद्वारे जा सकेंगे? उन्होंने अपने कार्यक्रम में उपस्थित एक सिक्ख पत्रकार भलिन्दर सिंह का नाम पूछने के बाद यह बात कही, जिस पर खुद भलिन्दर सिंह और अन्य सिक्खों ने भी आपति जताई, क्योंकि यह बयान उकसावे और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने-भिड़ाने वाला है। राहुल गांधी का सिक्खों के संबंध में दिया गया बयान इतना भड़काऊ है कि इसी से समझा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह "पन्नू" ने उनके कथन को सही करार दिया है, जो एक तरह से खालिस्तानी आंतकियों का काम आसान किया है और यह भी तय है कि खालिस्तानी आंतकी उनके इस बयान का सहारा लेकर भारत में हिंसा व अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे और दुनिया में भारत के विरूद्ध दुस्प्रचार करेंगे। राहुल गांधी ने सी.ए.ए. के विरूद्ध 14.12.2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली को सम्बोधित करते हुए ऐसा ही दुस्प्रचार करके दिल्ली के शाहीनबाग में व्यापक धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया था जिसका दुखद अंत हिंसा और अराजकता से हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी थी जिसके सम्बंध में प्रार्थी एवं प्रार्थिनी ने दिनांक 09.03.2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को सम्बोधित एक प्रत्यावेदन सी.बी.आई. जांच कराने हेतु प्रेषित किया था। राहुल गांधी का उक्त बयान भारत के विरूद्ध गृह युद्ध भड़काने की साजिश है जिसका प्रमाण विगत दिनों राहुल गांधी के चहेते व कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान कि "भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है" जो दण्डनीय अपराध है। इसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.09.2024 को प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त, वाराणसी तथा अन्य अधिकारियों को दिया गया है। जिस पर कार्यवाही न होने की दशा में प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र न्याय की आशा में श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदक द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, वाराणसी को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति, समाचार पत्र में प्रकाशित लेख की छायाप्रतियां व आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

थाना की आख्यानुसार "प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रमुख विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी पर उनके अमेरिकी यात्रा के दौरान सिक्ख समुदाय को लेकर बयान दिया गया जिसका समर्थन गुरपतवंत सिंह द्वारा सही करार दिया जाना आवेदक द्वारा बताया जा रहा है। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय के रजि०नं०-4, ग्रा० अपराध रजि० व अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया तो किसी भी प्रकार के अभियोग का पंजीकरण होना नहीं पाया गया।"

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के माध्यम से विपक्षी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर विवेचना कराये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी है कि विपक्षी द्वारा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया कि "भारत में सिक्खों के बीच असुरक्षा का महौल है, एक सिक्ख के तौर पर उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं? और क्या वह गुरुद्वारे जा सकेगें?" उक्त बयान उकसावे और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये लोगों को लड़ने-भिड़ाने वाला है।

प्रार्थी का यह भी कथन है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 14.12.2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भारत बचाओ रैली को सम्बोधित करते हुए ऐसा ही दुष्प्रचार करके दिल्ली के शाहीन बाग में व्यापक धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया था जिसका दुखद अंत हिंसा और अराजकता से हुआ था। जिसमें सौ से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।

भारत से बाहर किये गये अपराधों के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है-

"जब कोई अपराध भारत से बाहर-

(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद पर या अन्यत्र, या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर,

किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान पर किया गया है, जहाँ वह पाया गया है या जहाँ अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है,

परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जाँच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार के पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा।"

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जिस बयान के आधार पर विपक्षी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की गयी है, वह बयान विपक्षी द्वारा अपनी अमेरिका के यात्रा के दौरान दिया जाना कहा गया है, परंतु प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु प्रार्थनापत्र के साथ केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

जहाँ तक विपक्षी द्वारा दिनांक 14.12.2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिये

गये भाषण का पक्ष है, इस संबंध में प्रार्थनापत्र में उक्त भाषण का या उसके किसी अंश का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि विपक्षी द्वारा दिल्ली में दिये गये भाषण से किसी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट होता हो.

इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 में विहित प्रावधानों के अनुसार भारत में किये गये अपराध के जॉच या विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालयों में किये जायेंगे जिनकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध कारित किया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परंतुक को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

28/11/2024

दिनांकः- 28.11.2024

(नीरज कुमार त्रिपाठी)
JO Code- UP2249
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-04, वाराणसी।